UPBJ010028822026

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074**

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–755/2026

एवं

UPBJ010029872026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–808/2026

मु0अ0सं0–06/2026
धारा–109(1),115(2),191(2),351(2),352 बी0एन0एस0 व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
थाना–नजीबाबाद, जिला बिजनौर।

दिनांक–12–03–2026

1– यह दोनों जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण **प्रिन्स पुत्र सुरेन्द्र** व **रेशू उर्फ प्रियान्शु** की ओर से मुकदमा अपराध सं0 06/2026 अन्तर्गत धारा 109(1),115(2), 191(2),351(2),352 बी0एन0एस0, धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना नजीबाबाद, जिला बिजनौर के प्रकरण में जमानत प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये है, जो शपथ पत्र द्वारा समर्थित हैं। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है। दोनो जमानत प्रार्थना पत्र एक ही मुकदमे से सम्बन्धित हैं, जिस कारण दोनो जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2– जमानत प्रार्थना पत्रों पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा केस डायरी एवं प्रपत्रों का परिशीलन किया। वादी मुकदमा को जमानत प्रार्थना पत्र की सूचना प्राप्त है परन्तु वह उपस्थित नहीं है।

3– संक्षेप में वादी मुकदमा अरूण कुमार द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है कि प्रार्थी सफाई कर्मचारी है। दिनांक 02–01–2026 को समय 06:45 पी0एम0 को प्रार्थी कान्हा होटल से जिम कर अपने ग्राम गढवाला घर पर पहुंचा तो वहां पहले से ही मौजूद प्रिंस, विपुल, हर्ष व 02 व्यक्ति नाम पता अज्ञात सकल सूरत शिनाख्त ने प्रार्थी को घेर लिया एवं प्रार्थी को मां बहन की गन्दी गन्दी गाली देने लगे और कहने लगे कि तू भंगी हमसे बदमाशी करेगा। आज तुझे हम सबक सिखायेंगे। प्रार्थी ने मना किया तो प्रिंस ने तमंचा निकालकर प्रार्थी पर फायर कर दिया जो मिस हो गया तभी उपरोक्त विपुल, हर्ष व 02 अन्य व्यक्तियों ने लाठी डन्डे व लात घूसों से मारपीट शुरू कर दी, जिससे प्रार्थी नीचे गिर

Digitally signed by AVDHESH KUMAR
Date: 2026.03.12 16:41:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गया। प्रिंस ने सिर पर तमंचे की बट से कई वार किये जिससे सिर फट गया और खून निकलने लगा। प्रार्थी के शोर पर आसपास के लोग मन्नू, साहिल, लड्डू, रवि आ गये जिन्हें देखकर मुल्जिमान तमंचा लहराते हुए जातिसूचक शब्द भंगी के आज तो तू बच गया आईन्दा तुझे जान से मारकर ही दम लेगे, चले गये। प्रार्थी के घटना में गम्भीर चोटे आयी है। सूचना पर पुलिस ने समीपुर अस्पताल में प्रार्थी का मेडिकल कराया। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद में प्राथमिकी मु0अ0सं0 06/2025 अन्तर्गत धारा 191(2), 109(1), 115(2), 351(2), 352 बी0एन0एस0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 एस0सी0,एस0टी0 एक्ट अभियुक्तगण व सहअभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

4– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थीगण को रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने कोई अपराध नहीं किया है वे निर्दोष है। प्रार्थीगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं हैं, दौरान विवेचना प्रार्थीगण का नाम बढाया गया है। प्रार्थीगण के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। एफ0आई0आर0 देरी से लिखायी गयी है। घटना कारित करने का कोई मोटिव एफ0आई0आर0 में नहीं बताया है। सहअभियुक्त प्रिन्स व कुनाल की जमानत न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। फायर आर्म की चोट किसी चुटैल को नहीं है, जिससे धारा 109(1) बी0एन0एस0 का अपराध नही बनता है। प्रार्थीगण ने वादी को कोई जातिसूचक शब्द नहीं के न ही कोई गम्भीर चोट है। प्रार्थीगण का पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण अपनी विश्वसनीय जमानत दाखिल करने को तैयार है। उक्त कथनों के साथ अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमातन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण ने सहअभियुक्त के साथ मिलकर बल्बा करते हुए वादी मुकदमा को जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किया, लात घूसों व लाठी डन्डे से मारपीट करके चोटे पहुंचायी, जातिसूचक शब्दों के साथ गाली गलौच करके अपमानित किया व जान से मारने की धमकी दी गयी है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त रेशू उर्फ प्रियांन्शु का मु0अ0सं0 206/2025 धारा 115(2),117(2),190,191(2),351(2) बी0एन0एस0 का आपराधिक इतिहास है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

6– प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध सहअभियुक्त के साथ मिलकर बल्बा करते हुए शिकायतकर्ता को अनुसूचित जाति का जानते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करके गाली गलौच करने, जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर करने, लात घूसों व लाठी डन्डो से मारपीट करके चोटे पहुंचाने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप हैं। केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि घटना में चुटैल के शरीर पर 07 चोटे आना दर्शाया गया है जिनमें से केवल चोट सं0 1 को देखरेख में रखा

गया है। पूरक चिकित्सीय आख्या के अनुसार चोट सं0 1 साधारण प्रकृति की दर्शायी गयी है। चुटैल के शरीर पर फायर आर्म की कोई चोट नहीं आयी है। अभिसुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं हैं। दौरान विवेचना अभियुक्तगण नाम प्रकाश में आया है। सहअभियुक्तगण प्रिन्स व कुनाल की जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। अभियुक्तगण दिनांक 26–02–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं। मामले के समस्त तथ्यो एवं परिस्थितियो में मामले के गुण–दोष पर टिप्पणी किए बिना अभियुक्तगण शर्तो के साथ जमानत पर रिहा किए जाने योग्य है। तद्नुसार अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र शर्तों के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **प्रिन्स पुत्र सुरेन्द्र** व **रेशू उर्फ प्रियान्शु** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते हैं। अभियुक्तगण के द्वारा 50,000–50,000/–रूपये (पचास–पचास हजार रूपये) के दो–दो जमानती तथा समान धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं निम्नलिखित शर्तो की अन्डरटेकिगं दाखिल किए जाने पर अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाए। आदेश की प्रति जमानत प्रार्थना पत्र सं0 808/2026 पर रखी जाए–

1– अभियुक्तगण विवेचना या परीक्षण के दौरान अभियोजन साक्षियो के साथ छेडछाड़ नहीं करेंगे।

2– अभियुक्तगण अभियोजन साक्षियो व पीडितो को डरायेगे/धमकायेगे नहीं।

3– अभियुक्तगण न्यायालय के आदेशो का पालन करेंगे, परीक्षण के दौरान बिना कोई अनावश्यक स्थगन लिए नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होंगे तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेंगे।

4– अभियुक्तगण जमानत पर रिहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता की दुरूपयोग नहीं करेंगे और किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होंगे न कोई आपराधिक कृत्य करेंगे।

5– अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यो परिचित किसी भी व्यक्ति या पुलिस अधिकारियो को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देंगे न ही उनसे कोई वायदा करेंगे, जिसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यो को उजागर करने से विरत रहना पडे।

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश,
एस.सी./एस.टी.(पी0ए0) एक्ट,
बिजनौर।
J.O. Code-U.P.6074